सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.11.2014 की कार्य सूची।

मद सं0–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–14 में मद सं0 30(ब) को छोडकर अन्य कार्यवाही का पुष्टिकरण।

मद सं0:–2 **सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–**

–

मद सं0:–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

अ– दिनांक 01.08.14 से दिनांक 31.10.2014 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–

–सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक 21947 से 22236 तक– 290 परमिट

ब– शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः :–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	47341 से 47708 तक– 368 परमिट
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	12159 से 12339 तक– 181 परमिट
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	6808 से 6899 तक– 92 परमिट
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	5768 से 5785 तक– 18 परमिट
5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट	2044 से 2089 तक– 46 परमिट
6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट	
पर्वतीय मार्ग –	4544 से 4565 तक– 22 परमिट
मैदानी मार्ग–	————
7–निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं) को जारी परमिट –	2706 से 2788 तक– 83 परमिट
8–ठेका गाडी के स्थाई परमिट –	1561 से 1579 तक– 19 परमिट

स– स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट– पीएसटीपी– 1902, 1928, 2005, 2037, 1989, 1497, 1967, 1501, 1508, 2038, 1504, 2040, 1901, 2041, 2042

मद सं0–04 ऑटो रिक्शा के (3+1, 4+1 व 5+1 सीटर) परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।

श्री आदेश चौहान, मा0 विधायक बीएचईएल, रानीपुर, हरिद्वार का मा0 परिवहन मंत्रीजी, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित पत्र दिनांक 18.03.14 एंव श्री प्रदीप बतरा, मा0 विधायक, रूडकी, पर्यटन सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार का मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र दिनांक 28.08.2014 को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 को मद 30(ब) के अन्तर्गत उक्त मामले को विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया था कि हरिद्वार, ऋषिकेश एंव रूडकी केन्द्रो के लिये 3+1, 4+1 एंव 5+1 वाहनों के ऑटो रिक्शा परमिट निम्नलिखित शर्तों के साथ आगामी 05 वर्षों हेतु नई ऑटो रिक्शा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.11.2014 तक जारी किये जायेंगे, तत्पश्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी। हरिद्वार एंव ऋषिकेश केन्द्र (पहाडी मार्गो को छोडकर) के परमिट 25 किमी0 अर्द्धव्यास एंव रूडकी केन्द्र के परमिट 16 किमी0 अर्द्धव्यास के लिये स्वीकृत किये जाते हैं।

1– हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्र हेतु आवेदक हरिद्वार जनपद का स्थाई निवासी हो तथा ऋषिकेश केन्द्र हेतु उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश के अधिसूचित कार्यक्षेत्र का स्थाई निवासी हो। इस हेतु मतदाता परिचय पत्र/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2– आवेदक बेरोज़गार हो।
3– आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।
4– आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।
5– परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

प्राधिकरण द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में विक्रम मालिक चालक एसोसियेशन, शिवानन्द झूला, मुनि की रेती, ऋषिकेश का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2014 प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना पत्र में विक्रम मालिक चालक एसोसियेशन द्वारा निवेदन किया है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के एजेन्डे के अनुसार ऋषिकेश के ऑटो रिक्शा 3+1,

4+1 एंव 5+1 के परमिट जारी होने की संभावना है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि ऋषिकेश शहर में पहले से ही विक्रम विक्रम ऑटो रिक्शा पर्याप्त मात्रा में संचालित हो रहे हैं। ऋषिकेश शहर बहुत छोटा शहर है। जहॉ यात्रा सीजन मात्र 04 माह रहता है। शेष 08 माह ऑफ सीजन रहता है। और यात्रियों की भारी कमी रहती है और परिवहन व्यवसाय ठप्प रहता है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि ऋषिकेश केन्द्र के ऑटो रिक्शा या अन्य किसी प्रकार के हल्के वाहनों के परमिट जारी न किये जायें।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश ने अपने पत्र सं0 1269 दिनांक 13.10.2014 के साथ को–आर्डिनेटर, बसपा, विधान सभा, क्षेत्र, ऋषिकेश का मण्डल आयुक्त/ सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, गढवाल मण्डल, देहरादून को सम्बोधित पत्र दिनांक 10.10.2014 संलग्न कर प्रेषित किया है। इस पत्र में निवेदन किया गया है कि टैम्पो/विक्रम/ऑटो के सार्वजनिक परमिट जारी किये जाने के निर्णय का विरोध करते है। जिससे कि यहॉ की जनता को आर्थिक व शारीरिक हानि होने से बचाया जा सके।

श्री किशोर उपाध्याय, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदेश कॉग्रेस कमेटी, 21 राजपुर रोड़, देहरादून का परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को सम्बोधित पत्र दिनांक 30.10.2014, आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी के कार्यालय पत्रॉक 789 दिनांक 30.10.2014 के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड प्रदेश विक्रम टैम्पो महासंघ, इन्दिरा मार्केट, देहरादून के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मुझसे मुलाकात कर ऋषिकेश केन्द्र के ऑटो रिक्शा या अन्य किसी प्रकार के सवारी वाहनों के परमिटों पर रोक लगवाये जाने का अनुरोध किया है। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र में लगभग 1500 ऑटो विक्रम के परमिट जारी हो चुके हैं तथा छोटा शहर होने के कारण यातायात के भारी दबाव को देखते हुये यह मात्रा पर्याप्त महसूस होती है। यदि ऑटो रिक्शा के लगातार परमिट जारी किये जाते रहे तो शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा सकती है। अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदेश कॉग्रेस कमेटी, 21 राजपुर रोड़, देहरादून के द्वारा आग्रह किया गया है कि ऋषिकेश में याताायात के दबाव को मद्देनजर रखते हुये उक्त के सन्दर्भ में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त श्री दिनेश गोयल, संयोजक, गढवाल मण्डल, भारतीय जनता पार्टी, रानीपोखरी, देहरादून का पत्र दिनांक 01.11.2014 जो अध्यक्ष/सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित है, आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी के कार्यालय पत्रांक 798 दिनांक 01.11.14 के द्वारा प्राप्त हुआ है। इस पत्र मे उन्होंने कहा है कि दिनांक 10.09.2014 को संभागीय परिवहन

प्राधिकरण, देहरादून की बैठक में मद सं0 व संकल्प सं0 30(ब) के अनुसार ऋषिकेश, हरिद्वार एंव रूडकी केन्द्रो के ऑटो थ्री व्हीलर परमिट जारी करने के आदेश पारित किये हैं और संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून द्वारा नियमानुसार परमिट स्वीकृति पत्र जारी किये जा रहे थे। लेकिन दो–तीन दिन बाद ही केवल ऋषिकेश केन्द्र के परमिट स्वीकृति जारी करने बन्द कर दिये गये। यह परमिट किसके आदेश पर जारी करने बन्द किये, यह नहीं बतलाया जा रहा है। परमिट स्वीकृति पत्र अचानक बन्द करना गलत है। परमिट स्वीकृति से काफी बेरोजगारों के रोजगार व परिवार के लोगों की रोजी रोटी का साधन ऑटो थ्री व्हीलर रोजगार बन रहा था, जो कि स्वागत योग्य निर्णय था।

श्री गोयल ने निवेदन किया है कि उक्त सन्दर्भ में उचित कार्यवाही कर परमिट स्वीकृति पत्र जारी करवाने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में संकल्प स0 30(ब) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा प्राप्त करने हेतु 238 अभ्यर्थियों को स्वीकृति पत्र जारी किये जा चुके हैं। जिसमें से 02 प्रार्थियों ने परमिट भी प्राप्त कर लिये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–05 **देहरादून संभाग तथा देहरादून एंव पौड़ी संभाग के मार्गों के लिये ठेका गाडी, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब के स्थाई परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।**

स्थाई ठेका गाडी, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब परमिटों हेतु कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं इन प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–क** में दिया गया है। ज्ञातब्य है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 से पूर्व प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव द्वारा उक्त प्रकार के परमिट जारी किये जा रहे थे, परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में उक्त प्रकार के परमिट जारी करने के प्रदत्त अधिकार प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिये गये हैं।

यह भी अवगत करना है कि इस कार्यालय की विज्ञप्ति दिनांक 05.11.2014 में अन्य मामलों के साथ–साथ स्थाई ठेका गाडी, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.2014 में विचार किये जाने की सूचना प्रकाशित की गई है। इस सम्बन्ध में श्री विजयवर्धन डंडरियाल एंव श्री प्रशान्त डोभाल ने अपने संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 07.11.2014 के साथ मा0 उच्च न्यायालय, द्वारा याचिका सं0 2076 व 2265 में पारित आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर उल्लेख किया है कि ठेका गाडी, टैक्सी व मैक्सी कैब के मामले में उक्त याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखे हैं। ठेका गाडी परमिटों में विचार किया जाना मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2014 एंव दिनांक 26.09.2014 को पारित आदेश निम्नवत हैंः–

WPMS N0. 2076 of 2014
Date 09-09-2014

Mr. Jitendra Chaudhary, Advocate for the petitioner.

Mr. R.C. Arya, Standing Counsel for the State of Uttarakhand/ respondents.

Learned counsel for the petitioner grant stage carrier permit in favour of three-wheelers Vikram tempo and Tata Magic. Stage Carrier permit can be granted to those vehicles whose sitting capacity is not less than 6.

Mr. R.C. Arya, Standing Counsel for the State of Uttarakhand submits that till date no policy, to grant stae carrier permit in favour of Vikram tempo or Tata Magic, has been finalized.

RTO, Dehradun shall remain present, in person, before this Court on the next date fixed to explain under what provision of law Stage carrier permit can be granted on specific route in favour of Vikram or Tata Magic.

List on 11-09-2014.

Meanwhile, no stage carrier permit shall be granted in favour of Vikram tempo or Tata Magic.

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थित हुये। मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.09.1014 को निम्नलिखित आदेश पारित किये हैं।

Mr. Dinesh Chand Pathoi, Sectary Regional Transport Authority, Dehradun is present in person. He undertakes that till further orders of this court, no further Stage Carriage Permit shall be issued in favour of Maximo, Vikram Tempo and Tata Magic.

He shall file his own affidavit stating therein as to whether three wheelers can be issue Stage Carriage permit. He shall also indicate as to whether Maximo, Vikram Tempo and Tata Magic were issued registration certificate for carrying 6 or more passengers excluding driver.

On the request of Mr. R.C Arya learned Standing Council appearing for the respondent. Adjourned for three weeks.

WPMS N0. 2265 of 2014
Date 26-09-2014

Mr. Jitendra Chaudhary, Advocate for the petitioner.

Mr. S.S. Chauhan, Deputy Advocate General for the State/respondents.

To be heard along with WPMS No. 2076 of 2014.

There shall be interim order in the same terms.

CLMA No. 11097 of 2014 stands disposed of accordingly.

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–06 राजपुर–क्लेमेनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के अन्तर्गत राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग है। वर्तमान में इस मार्ग पर 30 परमिट जारी किये गये हैं। प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा दिनांक 21.06.2010 को सर्वे कर मार्ग पर 04 रिक्तियॉ निर्धारित की थी। जिसे प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि मार्ग पर उपलब्ध चार परमिट परिवहन निगम को स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थना पत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों में से एक प्रार्थना पत्र श्री अशोक कुमार का भी था। श्री अशोक कुमार ने प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ के समक्ष अपील सं0 1/12 दायर की थी। इस अपील का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा किया है। मा0 न्यायाधिकरण ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त कर दिया है तथा आदेश पारित किये हैं कि प्राधिकरण पुनः सभी प्रार्थियों को सुनने के पश्चात आदेश पारित करें।

मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.12.2013 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त आदेश पारित किये थे कि प्रश्नगत मार्ग का सर्वेक्षण वर्ष 2010 में कराया गया है, तब से लगभग 04 वर्ष का समय ब्यतीत हो गया है एंव देहरादून शहर की आबादी में काफी वृद्धि हुई है। अतः मार्ग का पुनः संयुक्त सर्वेक्षण कराकर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्राधिकरण के उक्त आदेशों के अनुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून पत्र सं0 9182/प्रतर्वन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 20.08.2014 के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या प्रेषित की है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने पूर्व संस्तुति सहित मार्ग पर कुल 06 परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार सैनी, भीम सिंह एंव श्री एस0के0 श्रीवास्तव ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 2331/एम0एस0/13 में दायर की गई थी। इस याचिका मा0 उच्च न्यायालय द्वारा

पारित आदेश दिनांक 12.12.13 के अनुपालन में राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई परमिटों के आवेदन पत्रों पर सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत उक्त प्रकरण को निस्तारित करते हुये मामले को आरटीए में विचार हेतु रखने की अपेक्षा की गई थी। इन आदेशों के विरूद्ध श्री रामकुमार व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका सं0 182/14 दायर की गई है। जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 28.10.2014 के द्वारा खारिज कर दिया है।

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई तथा स्थाई परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग पर पूर्व में वर्ष 2010 में संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा सर्वेक्षण कर 04 परमिटो की संस्तुति की गई थी एंव प्राधिकरण ने दिनांक 08.10.10 को उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के इन आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की थी। अपील का निस्तारण कर मा0 न्यायाधिकरण प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08.10.10 को निरस्त कर दिया था। इन आदेशों के विरूद्ध वर्तमान में इन 04 रिक्तियों पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 87(सी) अन्तर्गत अस्थाई परमिट किसी विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के लिये मॉगें गये हैं। परन्तु उनके प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 27.07.2012 को उत्तराखण्ड परिवहन निगम के निरस्त किये गये परमिटों के स्थान पर 04 माह का अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किया जाये। परन्तु उनके आवेदन में विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता का वर्णन नहीं है। मार्ग में स्थाई रिक्ति 30 से 34 किये जाने से विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता स्थापित नही होती है, विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता, स्थाई आवश्यकता के समक्ष विद्यमान हो सकती है। किन्तु प्राधिकरण के समक्ष उक्त मार्ग हेतु विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है एंव ना ही ऐसी कोई मॉग किसी भी स्तर से प्राप्त हुई है।

अतः मोटर गाडी अधिनियम 1988 धारा 87(सी) के अन्तर्गत विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता का कोई औचित्य प्रतीत न होने के कारण तथा स्थाई परमिट जारी करने पर विचार करने की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अस्थाई परमिटों के प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।

इस मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिट लेने हेतु निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैंः–

क्र0 सं0	प्रार्थना पत्र प्राप्ति की तिथी	प्रार्थी का नाम व पता	वाहन सं0 (यदि कोई हो)
1.	20.10.2014	श्री भीम सिंह पुत्र नत्थी सिंह, 79 लोअर नथनपुर, देहरादून।	यूके 07पीए 267
2.	–तदैव–	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री जी0एन0 शर्मा, 264 नथनपुर, देहरादून	यूके 07पीए 451
3.	–तदैव–	श्री एस0के0 श्रीवास्तव पुत्र श्री डी0पी0 श्रीवास्तव, 4 बी राजा रोड़, देहरादून	यूके07 पीए 1397
4.	–तदैव–	श्री राम कुमार सैनी पुत्र श्री चमन लाल, प्रतीतपुर धर्मावाला, देहरादून।	यूके07 पीए 1125
5.	05.11.14	श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्रीदत्त भट्ट, एमडीडीए कॉलोनी, केदारपुरम, देहरादून	–
6.	–तदैव–	श्रीमती सपना शर्मा पत्नी श्री विपिन शर्मा, 308 नेहरू कालोनी, धर्मपुर, देहरादून	–
7.	–तदैव–	श्री विपिन शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा 308 नेहरू कालोनी, धर्मपुर, देहरादून।	–
8.	–तदैव–	श्री अरविन्द कुल्हान पुत्र श्री हरि सिंह, ग्राम आमवाला अपर, नालापानी, देहरादून।	–
9.	–तदैव–	श्रीमती बीना भण्डारी पत्नी श्री गोपाल भण्डारी, ए 186 नेहरू कॉलोनी धर्मपुर, देहरादून।	–

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 10.09..2014 में सचिव को प्रतिस्थापन/समर्पण परमिटों के सापेक्ष अस्थाई परमिट जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है, यदि विवाद की स्थिति न हो। उपरोक्त आवेदको में से क्रमॉक सं0 1 से 4 पर अंकित आवेदकों के द्वारा मार्ग पर 06 रिक्ति के सापेक्ष परमिट मॉगे हैं, वे रिक्तियॉ संयुक्त सर्वेक्षण कमेटी के द्वारा प्रस्तावित की गई हैं। प्राधिकरण ने दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के इन आदेशों को मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण ने निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, राजुपर–क्लेमेन्टाउन मार्ग ने भी प्रश्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने पर आपत्ति व्यक्त की थी। अतः उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर विवाद होने तथा प्रकरण में प्रतिस्थापन/समर्पण न होने की स्थिति में सचिव, द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्राधिकरण आवेदनों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–07 <u>प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।</u>

श्री आशीष कम्पानी पुत्र श्री जे0के0 कम्पानी, 34 आराघर देहरादून, ने अपनी बस संख्या यूके07 पीए 1306 मॉडल 2011 के लिये प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग हेतु 04 मार्ग का अस्थाई परमिट जारी करने हेतु आवेदन किया है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा एक नगर बस सेवा मार्ग से गूलरघाटी प्रेमनगर तथा सम्बन्धित मार्ग बस सेवा मार्ग वर्गीकृत किया गया है, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.05.06/08.10.10 की बैठक में इस मार्ग पर 22 परमिटों की संख्या निर्धारित की गयी थी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 08.10.10 मे स्वीकृत किये गये 04 परमिटों में से 02 प्रार्थियों के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किये गये हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर 20 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर संचालित है तथा श्री आशीष कम्पानी की वाहन अस्थाई परमिट पर संचालित थी। प्रार्थी की नई वाहन को फरवरी, 2012 से अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा था। जो दिनांक 01.09.2014 को समाप्त हो गया था।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 10.09..2014 में सचिव को प्रतिस्थापन/समर्पण परमिटों के सापेक्ष अस्थाई परमिट जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है, यदि विवाद की स्थिति न हो। प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान मार्ग के कुछ परमिट धारकों के द्वारा परमिट जारी करने पर आपत्ति ब्यक्त की गई थी। अतः उक्त मार्ग पर परमिट जारी करने पर विवाद होने की स्थिति में सचिव, द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्राधिकरण आवेदनों पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–08 एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेश।

श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, सुन्दरवाला रायपुर देहरादून, ने अपनी बस संख्या यूके07 पीए 1311 मॉडल 2011 के लिये एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर बस सेवा मार्ग हेतु 02 माह का अस्थाई परमिट जारी करने हेतु आवेदन किया है।

एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग है। प्रांधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.2010 में इस मार्ग पर 14 परमिटों की संख्या निर्धारित करते हुये 03 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये थे। जिसमें से एक प्रार्थी के द्वारा परमिट प्राप्त नहीं किया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर 13 वाहनें स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर संचालित हैं तथा श्री कमल कुमार की वाहन अस्थाई परमिट पर संचालित थी। प्रार्थी की नई वाहन को फरवरी, 2012 से अस्थाई परमिट जारी किया जा रहा था। जो दिनांक 17.03.2014 को समाप्त हो गया था।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून ने अपनी बैठक दिनांक 10.09..2014 में सचिव को प्रतिस्थापन/समर्पण परमिटों के सापेक्ष अस्थाई परमिट जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है, यदि विवाद की स्थिति न हो। परन्तु वर्तमान में इस मार्ग का कोई भी परमिट प्रतिस्थापन/समर्पण अवस्था में नहीं है। अतः सचिव के द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्राधिकरण श्री कमल कुमार के आवेदन पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–9 **<u>टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार एंव आदेश।</u>**

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 मे टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों को परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया था। प्राधिकरण ने मामले विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सचिव उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने हेतु नीति प्रस्तावित करेंगे।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सचिव के द्वारा टिप्पणी एंव आदेश के द्वारा प्रस्तावित नीति अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अध्यक्ष ने सचिव द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित नीति को अपने आदेश दिनांक 10.11.2014 के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया हैः–

टाटा मोटर्स लि0, पिम्परी, पुणे द्वारा एक यात्री वाहन (टाटा मैजिक आयरिश) निर्मित की है। परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–4209 / प्राविधिक / पंजीयन – अनुमोदन/2011 दि0 19.12.11 द्वारा वाहन को राज्य के मैदानी मार्गों में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार यात्री वाहन के रुप में पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। यह वाहन **डीजल चालित** है तथा वाहन में चालक सहित कुल 05 सीटें हैं। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–2(25) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का, जिसके अन्तर्गत चालक नहीं है, वहन करने के लिये निर्मित या अनुकुलित वाहन मोटर टैक्सी की श्रेणी में आता है।

उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 166 में ऑटो रिक्शा के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि ऑटो रिक्शा का ढ़ाचा स्टेसन वैगन या वाक्स के प्रकार का होगा। वाहन की चौड़ाई 1.42 मीटर से अधिक और 1.36 मीटर से कम नहीं होगी। वाहन का सड़क निर्बाधन (रोड़ क्लीयरेन्स) 20.5 से0मी0 से अधिक व 10.2 सेमी से कम नहीं होगी। वाहन में एकल सीट की व्यवस्था होगी, जिसकी लम्बाई 1.5मी0 से अधिक और 91.5 सेमी से कम नहीं होगी।

वर्तमान में चालक सहित 3 तथा 4 सीटर वाहनों को आटोरिक्शा(मोटर कैब) परमिट विभिन्न केन्द्रों से जारी किये गये हैं, परन्तु उक्त वाहन चालक सहित 05 सवारियों को ढोने हेतु निर्मित की गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा इस वाहन को आटोरिक्शा वाहन के रुप में पंजीकृत करने तथा आटोरिक्शा का परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा यात्री वाहन टाटा मैजिक आयरिश राज्य के मैदानी मार्गो में पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने की दशा में नियमानुसार यात्री वाहन के रूप में पंजीकृत करने के आदेश दिये हैं। यह वाहन डीजल चालित हैं तथा वाहन में चालक सहित कुल 05 सीटें हैं। मोटर गाडी अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार यह वाहन मोटर कैब की श्रेणी में आता है। पूर्व में मोटर कैब परमिट उदार नीति में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव द्वारा जारी किये जा रहे थे। परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार ठेका परमिट, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74 (2)(i) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ठेका गाडी परमिट विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग के लिये जारी किया जा सकता है। पूर्व में मोटर कैब को क्षेत्र के परमिट जारी किये गये है। टॉटा मैजिक आयरिश वाहन छोटी

बनावट का वाहन है तथा परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के मैदानी मार्गो में संचालन हेतु पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिये इस वाहन को सीमित मैदानी क्षेत्र का मोटर कैब परमिट दिया जाना उचित होगा।

वर्तमान में उक्त प्रकार की 18 वाहनें कार्यालय में पंजीकृत हैं जिनमें से 13 वाहनों को अस्थाई परमिट जारी किये गये थे जो समाप्त हो गये हैं। इस प्रकार की वाहनों के परमिट प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण **परिशिष्ट–ख** में दिया गया है।

अतः प्राधिकरण आवेदन पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0– 10 **माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेश।**

मोटर गाड़ी अधिनियम–1988 की धारा–93 में यह प्राविधान है कि सार्वजनिक सेवायानों को यात्रीयों के टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में तथा माल वाहनों के द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में अपने को तभी लगायेगा जब उसने ऐसे प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

धारा–93 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मालवाहनों द्वारा ले जाये जा रहे माल के संग्रह, अग्रेषण और वितरण के कारोबार में लगे अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में नियम बनाये गये हैं। जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड़ मोटरयान नियमावली–2011 के नियम 112 से 120 तक दिया गया है। नियम 113 यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जब तक कि वह ऐसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, जो उसे अभिकर्ता के कारोबार को ऐसे स्थान पर या स्थानों पर जिन्हे अनुज्ञप्ति में विनिविष्ट किया गया हो, चलाने के लिये प्राधिकृत करती हो, अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा। नियमावली के नियम–114(6) में यह प्राविधान है कि अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

पूर्व में उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में **"सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007"** बनाया गया है। इस अधिनियम की धारा–2 निम्न प्रकार हैः–

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सामान्य वाहक" से किसी माल की रसीद के अधीन माल वाहकों द्वारा वहन किय जाने वाले माल का संग्रहण, भंडारण, प्रेषण और वितरण करने तथा बिना किसी विभेद के सभी व्यक्तियों के लिय सड़क पर मोटरीकृत परिवहन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का भाड़े के लिए परिवहन करने के कारबार में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत माल बुकिंग कंपनी, ठेकेदार, अभिकर्ता दलाल और ऐसा कुरियर अभिकरण भी है, जो दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार–द्वार तक परिवहन में, ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं की वहन करने या साथ ले जाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करके, लगा हुआ है किन्तु इसके अंतर्गत सरकार नहीं है;

————XXXXXXXXXXXXXX————

(ञ) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 के अधीन गठित कोई राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

उपरोक्त अधिनियम की धारा–3 निम्न प्रकार हैः–

3. (1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात सामान्य वाहक के कारबार में तब तक नहीं लगेगा, जब तक उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त न किया गया हो।

(2) कोई व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतः या भागतः सामान्य वाहन के कारबार में लगा है, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व,–

(क) ऐसे प्रारंभ की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा;

(ख) जब तक उसने रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन न किया हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं कर दिया गया हो, ऐसे प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति पर उस कारबार में नहीं लगेगा।

अधिनियम की धारा–4 (6) में यह प्राविधान है कि अनुगत या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दस वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने सड़क मार्ग वहन नियम–2011 बनाये हैं। इस नियमावली के नियम –3 में यह प्राविधान है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के लिये आवेदन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रारूप–1 में किया जायेगा। आवेदन के साथ नियम–13 के अन्तर्गत विनिदिष्ट फीस संलग्न की जायेगी।

नियम–13 में विनिदिष्ट फीस निम्न प्रकार हैः–

1.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय ब्याज मुक्त प्रतिभूति निक्षेप	– रू0 5000/–
2.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिये फीस	– रू0 1000/– + रू0 250/– (प्रसंस्करण फीस)
3.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिये फीस	– रू0 1000/– + रू0 250/– (प्रसंस्करण फीस)
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधनों के फीस	रू0 250/– (प्रसंस्करण फीस)
5.	अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए	रू0 500/–

निम्नलिखित प्रार्थियों के द्वारा अभिकर्ता अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैंः–

क्र० सं०	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता
1.	**28.11.13**	मै0 जय सेम नागराज ट्रांसपोर्ट क0, न्यू टिहरी बस अड्डा रोड़ नियर चन्द्रभागा पुल, ऋषिकेश।
2.	**04.12.13**	मै0 महादेव ट्रांसपोर्ट कम्पनी, तहसील चौक, हरिद्वार बाईपास रोड़, ऋषिकेश।
3.	**20.08.14**	मै0 एस0के0 ट्रांसपोर्ट, एफ/112 ट्रार्सपोर्ट नगर, देहरादून।

4.	**20.08.14**	श्री सुभाष चन्द , 207/02 पटेलनगर, देहरादून
5.	**20.08.14**	श्री कृपाल सिंह पंवार ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, रीतू के बेली, थतूड, टिहरी गढवाल।
6.	**22.08.14**	मै0 के0पी0ट्रार्सपोर्ट क0पा0, 77/33 आढत बाजार, देहरादून। 9897865481
7.	**23.08.14**	मै0 धनप्रकाश गर्वमेन्ट कान्ट्रैक्टर एंव सप्लायर्स, तिलक रोड, देहरादून।
8.	**29.08.14**	मै0 नागपाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, 66 गॉधी रोड, देहरादून।
9.	**29.08.14**	श्री राजकुमार पुत्र श्री पुत्र लद्दाराम, 68 गॉधी रोड़, देहरादून।
10.	**29.08.14**	श्री दिनेश नागपाल पुत्र लद्दाराम नागपाल 68 गॉधी रोड़, देहरादून।
11.	**29.08.14**	मै0 रवाई जौनसार ट्रक यूनियन, नौगॉव, उत्तरकाशी।
12.	**05.11.14**	श्री विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी, 1 राजा रोड, देहरादून।

अतः प्राधिकरण माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले उपरोक्त अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–11 **<u>प्रेमनगर–रायपुर नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार नथूवावाला तथा तुनवाला होते हुये शमशेर गढ तक किये जाने के सम्बन्ध में विचार एंव आदेश।</u>**

देहरादून जनपद के अन्तर्गत एक बस मार्ग देहरादून–रायपुर–मालदेवता, रायपुर, बालावाला वाया दोनाली, नथूवावाला, रायपुर से गुलरघाटी वाया तुनवाला, मियांवाला, बालावाला मार्ग है। इस मार्ग पर 13 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये थे। किन्तु मार्ग आर्थिक रूप से लाभप्रद नही होने के कारण वर्तमान में मार्ग पर केवल 02 ही बसें संचालित हो रही हैं तथा 11 परमिट धारकों के द्वारा अपने परमिट कार्यालय में समर्पित कराये गये हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता द्वारा बसों के संचालन की मॉग की जा रही है। उनके द्वारा सूचित किया है कि क्षेत्र में बस सेवा संचालित नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा व्यक्तियो एंव स्थानीय लोगों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। बसों का संचालन बन्द होने से क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुये हैंः–

1. शमशेरगढ, बालावाला क्षेत्र की जनता का मा0 मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 03.05.2014।

2. शमशेरगढ की जनता का मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र दिनांक 07.10.2013।
3. मा0 विधायक श्री उमेश शर्मा मा0 का परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र दिनांक 03.10.2013
4. ग्राम विकास समिति, शमशेरगढ़ का संभागीय परिवहन अधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 09.09.14।
5. ग्राम विकास समिति, शमशेर गढ का आयुक्त, गढ़वाल मण्डल को सम्बोधित पत्र दिनांक 10.09.14।
6. मा0 विधायक श्री हीरा सिंह बिष्ट जी का संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को सम्बोधित पत्र दिनांक 19.08.2014।
7. ग्राम विकास समिति, शमशेर गढ़ का मा0 परिवहन मंत्रीजी को सम्बोधित पत्र दिनांक 22.09.2014।

उपरोक्त पत्रों में देहरादून से शमशेर गढ, तुनवाला, बालावाला मार्गो पर नगर बस सेवा चलाने की मॉग की गई है। यह भी मॉग की गई है कि प्रेमनगर से देहरादून होते हुये रायपुर तक चलने वाली नगर बस सेवा को शमशेर गढ़ तक संचालित कराया जाये। इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0 9620/आरटीए/नौ–3/2014 दिनांक 23.09.14 द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण देने हेतु निर्देशित किया था। उन्होंने अपने पत्र सं0 9785/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2014 दिनांक 15.10.14 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रेषित की है। जो निम्नवत हैः–

<u>रायपुर–शमशेरगढ़ मार्गः</u>

1. स्थानीय जनता द्वारा रायपुर से नथुवावाला मार्ग होते हुये शमशेरगढ तक बस सेवा की मॉग की गयी है। मार्ग का दिनांक 01.10..2014 को सर्वेक्षण किया गया था। रायपुर से शमशेरगढ तक उक्त मार्ग की दूरी लगभग 4.5 किमी0 है। मार्ग पक्का है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उक्त मार्ग पर पूर्व में थानो/मालदेवता मार्ग की बसों का संचालन हो रहा था, जो कि बन्द हो गया है। सर्वेक्षण के दौरान उक्त मार्ग पर कोई बस सेवा संचालित नही पायी गयी।
2. स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का विस्तार शमशेरगढ़ तक किये जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त मार्ग का विस्तार शमशेरगढ तक करने की संस्तुति की जाती है।
3. प्रेमनगर–रायपुर मार्ग पर प्रेमनगर से रायपुर–आईएसबीटी एंव प्रेमनगर–कनाट प्लेस–घंटाघर होते हुए दोनों ओर से 50–50 प्रतिशत वाहनों का संचालन अनुमन्य है, जिस पर दोनो ओर से वाहनों का संचालन होता है। प्रेमनगर–आईएसबीटी होते हुय रायपुर तक मार्ग की दूरी लगभग 24 कि0मी0 है। अतः मार्ग घण्टाघर होते हुये संचालित वाहनों को रायपुर से शमशेरगढ तक संचालित किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि देहरादून–रायपुर–मालदेवता एंव सम्बन्धित मार्ग पर बसों का संचालन करने हेतु अस्थाई सवारी गा़डी परमिटों हेतु दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 21.06.11 एंव दिनांक 05.10.2013 को विज्ञप्ति (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, परन्तु किसी भी व्यक्ति के द्वारा परमिट हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इस मार्ग पर बडी बसों का संचालन न होने के कारण वर्ष 2011 से 11 छोटी 7/8 सीटर, 04 पहिया वाहनों का संचालन अस्थाई सवारी गाडी परमिट हो रहा था। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में मार्ग पर संचालित हल्की वाहनों को स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने तथा वाहनों की सख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया था। परन्तु प्राधिकरण की बैठक में हल्की वाहनों को सवारी गाडी परमिट जारी करने के विरूद्ध याचिका सं0 2076/एमएस/2014 मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर की गई है, जो विचाराधीन है। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.09.2014 को विक्रम टैम्पो, टाटा मैजिक एंव महेन्द्रा मैक्सिमों को स्टैज कैरिज परमिट दिये जाने पर रोक लगा दी है। मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण मार्ग पर चल रही हल्की वाहनों को अस्थाई/स्थाई परमिट जारी नही किये जा सके है, जिसके फलस्वरूप मार्ग पर हल्की वाहनों का संचालन भी बन्द हो गया है।

अतः तुनवाला, शमशेरगढ़, नथूवाला आदि क्षेत्र की जनता को बस सेवा उपलब्ध कराने के उददे्श्य से प्रेमनगर मार्ग की नगर बस का मार्ग विस्तार रायपुर से नथूवावाला तथा तुनवाला होते हुये शमशेरगढ तक करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करे।

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 में उक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को विचार हेतु प्रस्तुत किया गया था। परन्तु प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त परमिट स्वीकृत करने हेतु सचिव को नीति निर्धारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है तथा प्रश्नगत मार्ग हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाना स्थगित किया गया है।

अतः प्राधिकरण श्री आशीष कम्पानी के आवेदन पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की आगामी बैठक दिनांक 10.11.2014 के मद संख्या–5 का परिशिष्ट "क" के अन्तर्गत स्थाई ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब एंव यूटिलिटी वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र के विवरण

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	मार्ग/क्षेत्र
1	2	3	4	5
ठेका गाडी के परमिट हेतु				
1.	1930	01.11.14	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सीता राम ग्राम गंगोली, लक्सर, हरिद्वार	देहरादून तथा पौडी संभाग यूए07डी– 6657
2.	1929	01.11.14	श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री सीताराम गंगनोली, लक्सर, हरिद्वार।	देहरादून संभाग(पहाडी मार्गो को छोड़कर) यूपी 07जी– 3258
मैक्सी कैब के परमिट हेतु				
1.	1931	01.11.14	श्री संगत सिंह पुत्र श्री के0 सिहं, ग्राम व पो0ओ0 चॉदमारी, डोईवाला, देहरादून।	देहरादून तथा पौडी संभाग यूए07आर– 8270
2.	1933	05.11.14	श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, 144 जडधार गॉव, नागनी, टिहरी गढ़वाल।	देहरादून तथा पौडी संभाग यूए09– 5764
3.	1934	05.11.14	श्री एलविन पुत्र श्री सैमियन, 8/14 बकरालवाला, देहरादून।	देहरादून संभाग यूके07टीए 8804(स्कूल वैन)
4.	1936	05.11.14	श्रीमती तुलसी रावत पत्नी श्री जगदीप सिंह रावत, 188 नकरौंदा, देहरादून	देहरादून तथा पौडी संभाग यूए07एल– 6005

टैक्सी कैब के परमिट हेतु

1.	1935	05.11.14	श्री सुनीत पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, 275 डाकरा बाजार गढ़ी कैन्ट, देहरादून	देहरादून संभाग यूके07टीए 8803(स्कूल वैन)

यूटिलिटी वाहन के परमिट हेतु

1.	1932	01.11.14	श्री कान्ती राम पुत्र श्री धनी राम ग्राम व पो0ओ0 खाडू तल्ला, घनसाली, टिहरी गढवाल।	देहरादून तथा पौडी संभाग
2.	1937	05.11.14	श्री माधोराम पुत्र श्री राजीनन्द कोट गॉव, सांकरी, उत्तरकाशी।	देहरादून तथा पौडी संभाग
3.	1938	05.11.14	श्री राकेश सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, 206 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।	देहरादून तथा पौडी संभाग
4	1945	05.11.14	श्री उदय सिंह राणा पुत्र श्री स्व0 गौर सिंह राणा, ग्राम चौरा पो0 माल्याकोट टिहरी गढवाल	देहरादून तथा पौडी संभाग

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की आगामी बैठक दिनांक 10.09.2014 के मद संख्या– 9 का परिशिष्ट "ख" के अन्तर्गत टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित यात्री वाहन (टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर) वाहनों के परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र के विवरण

क्र० सं०	कोर्टफीस क्रमांक	प्रार्थनापत्र प्राप्ति की तिथि	प्रार्थी का नाम व पता	अन्य विवरण
13.	138	19.03.13	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, 128/1 नई बस्ती, गुरू रोड़, देहरादून।	यूके07टीए–7428
14.	06	20.06.13	श्री हरीश चन्द्र, पुत्र श्री सोहन लाल, चोयला, मोहब्बेवाला, देहरादून	यूके07टीए–6679
15.	07	22.06.13	श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री राजाराम, चक्कीटोल, निरंजनपुर, देहरादून।	यूके07टीए–6684
16.	08	22.06.13	श्री गौरी शंकर पुत्र श्री अशरफी लाल, 136 सहारनपुर रोड़, पटेलनगर, देहरादून।	यूके07टीए–6579
17.	44	29.11.13	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री गुरूदत्त सिंह, 234 डण्ढेरा, रूडकी, हरिद्वार	यूके07टीए–7432
18.	45	29.11.13	श्री सतीश चौधरी पुत्र श्री जुगल किशोर चौधरी 112, न्यू पार्क रोड़, देहरादून।	यूके07टीए–7359
19.	46	29.11.13	श्री मौ0 आजम नबी पुत्र श्री इस्लाम नबी, मोथरोवाला, सैनिक कॉलोनी, देहरादून।	यूके07टीए–7361
20.	49	29.11.13	श्री अब्दुल खालिद पुत्र श्री अयूब हसन ग्राम व पो0ओ0– शंकरपुर, सहसपुर, देहरादून।	यूके07टीए–7477
21.	48	29.11.13	श्री संजय गुप्ता पुत्र रतन लाल गुप्ता मार्फत संजय मिततल, 1 नेशनल रोड़, देहरादून।	यूके07टीए–7395
22.	50	29.11.13	श्री दीपक कुमार जैन पुत्र राकेश कुमार नई बस्ती गॉधी ग्राम, देहरादून।	यूके07टीए 7360
23.	497	26.08.14	श्री अर्जुन कुमार यादव पुत्र श्री गिरवीर सिंह 48/02 बॉडी गार्ड राजपुर देहरादून।	
24.	559	27.08.14	श्री अमरजीत सिंह पुत्र श्री मुख्तार सिंह, 282, आईडीपीएल, वीरभद्र, ऋषिकेश।	
25.	1167	27.08.14	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार 133/121 गुरू रोड, गॉधी ग्राम पटेलनगर देहरादून।	यूके 07टीए 8591
26.	1381	27.08.14	श्री देवेन्द्र दत्त पन्त पुत्र श्री सुरेन्द्र दत्त पन्त 205 मोथरोवाला, देहरादून।	यूके 07टीए 6578
27.	1406	27.08.14	श्री दिलशाद अहमद पुत्र श्री शरीफ अहमद म0न0 बी–61बी ब्लाक नेहरू कालोनी देहरादून	यूके 07टीए 7431
28.	1407	27.08.14	श्री हरीश चन्द पुत्र श्री सोहन लाल, चन्दबनी चोईला, मोहब्बेवाला, देहरादून	यूके 07टीए 6679
29.	1408	27.08.14	श्री सतीश चौधरी पुत्र श्री जुगल किशोर, एमडीडीए न्यू पार्क रोड, देहरादून।	यूके 07टीए 7359

30.	**1416**	**27.08.14**	श्री मौ0 आजम नवी अन्सारी पुत्र श्री इस्लाम नबी सैनिक कालोनी मोथरोवाला, देहरादून	यूके 07टीए 7361
31.	**1418**	**27.08.14**	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री हरीश चन्द, चन्दबनी चोईला, मोहब्बेवाला, देहरादून	
32.	**1424**	**27.08.14**	श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री राजा राम, निरंजनपुर चक्की, देहरादून	यूके 07टीए 6684
33.	**1426**	**27.08.14**	श्री दीपक जैन पुत्र श्री राकेश कुमार 315 नई बस्ती गॉधी ग्राम देहरादून।	यूके 07टीए 7360

सचिव,
संभागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.11.2014 की कार्यवाही

उपस्थित :–

1.	श्री सी0 एस0 नपलच्याल आई0ए0एस0 आयुक्त, गढ़वाल मंडल।	अध्यक्ष
2.	श्री रमेश बुटोला, 144/11, नेशविला रोड़ देहरादून।	सदस्य
3.	श्री अरविन्द शर्मा, 345 विवेक विहार हरिद्वार।	सदस्य
4.	श्री दिनेश चन्द्र पठोई संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।	पदेन सचिव

संकल्प सं0 –1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10–09–14 में संकल्प सं0 30(ब) को छोडकर अन्य कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

संकल्प सं0 –2 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 से दिनांक 10.11.14 तक प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं।

संकल्प सं0 –3 सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अ ब स पर जारी स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई/अस्थाई परमिटों का अनुमोदन सचिव द्वारा प्रत्येक 02 माह में कराया जायेगा।

संकल्प सं0–04

इस मद के अन्तर्गत ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा के परमिट जारी न करने के सम्बन्ध में विक्रम मालिक चालक एसोशिएशन, शिवानन्द झूला, मुनि की रेती, ऋषिकेश, को–आर्डिनेटर, बसपा, विधान सभा, क्षेत्र, ऋषिकेश तथा श्री किशोर उपाध्याय, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदेश कॉग्रेस कमेटी, देहरादून के पत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किय गया है। इन पत्रों में यह कहा गया है कि ऋषिकेश बहुत छोटा शहर है। यहॉ पर यात्रा सीजन 04 माह रहता है, शेष 08 माह आफ सीजन में यात्रियों की भारी कमी रहती है। उक्त पत्रों के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा के और परमिट जारी न किये जायें। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.09.2014 के संकल्प सं0 30(ब) द्वारा ऋषिकेश केन्द्र के परमिट जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में ऋषिकेश केन्द्र के 238 अभ्यर्थियों को स्वीकृत पत्र जारी किये गये हैं तथा 02 प्रार्थियों ने परमिट प्राप्त कर लिये हैं।

ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में प्रार्थीयों की ओर से श्री दिनेश गोयल उपस्थित हुये। उन्होंने प्रार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पत्र में यह कहा गया है कि ऋषिकेश में देश विदेश के पर्यटक यात्रा पर आते हैं। जिससे परिवहन ब्यवसायी को रोजगार मिलता है। वर्ष 2010 के पश्चात ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी नहीं किये गये हैं। टिहरी विस्थापित लोगों को ऋषिकेश के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। इन लोगों को यातायात उपलब्ध कराने के उचित साधन नहीं है। ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने से बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने निवेदन किया की जनहित में ऋषिकेश केन्द्र के परमिट जारी किये जाये।

ऋषिकेश केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्ध विभिन्न स्तरों से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुये हैं। इन पत्रों में यह कहा गया है कि ऋषिकेश में पूर्व से ही अधिक संख्या में ऑटो रिक्शा व विक्रम संचालित हो रहे हैं। नगर में वाहनों के पार्किग की समुचित व्यवस्था नहीं है। जबकि इन वाहनों के संचालन हेतु एक ही सडक मार्ग ऋषिकेश– हरिद्वार उपलब्ध है। इस मार्ग पर सभी प्रकार के हल्के व भारी वाहन संचालित होते है। मार्ग पर तथा शहर में आये दिन जाम एंव प्रदूषण की समस्या के कारण जनता परेशान होती है। इन पत्रों में अनुरोध किया गया है कि ऋषिकेश में ऑटो रिक्शा के नये परमिट जारी किया जाना व्यवहारिक एंव जनहित में नहीं है।

1. श्री सुबोध उनियाल, मा0 सदस्य विधान सभा।

2. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान सभा।
3. श्री दीप शर्मा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद।
4. श्रीमती लक्ष्मी सजवाण, सदस्य जिला पंचायत, ऋषिकेश।
5. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुनी की रेती, टिहरी गढवाल।
6. श्रीमती अनिता कण्डवाल, सदस्य जिला पंचायत, रायवाला।
7. श्री राजपाल खरोला, प्रदेश महासचिव, उत्तराखण्ड कॉग्रेस कमेटी।
8. ग्राम प्रधान, ग्राम सभा खाण्ड, रायवाला।
9. श्रीमती विनीता बिष्ट, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, नरेन्द्र नगर।
10. श्री दीपक गौनियाल, संघर्स सामाजिक संस्था, ऋषिकेश।
11. श्री सुरेश उनियाल, प्रधान, ग्राम सभा, तपोवन।
12. श्री राजकुमार अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, देवभूमि उत्तरांचल उद्योग व्यापार मण्डल, ऋषिकेश।
13. प्रधान, ग्राम सभा रायवाला, देहरादून।
14. प्रधान, ग्राम पंचायत, गौहरी माफी, रायवाला।
15. प्रधान, ग्राम पंचायत, प्रतीत नगर, देहरादून।
16. उत्तराखण्ड, प्रदेश विक्रम टैम्पो महांसघ, इन्दिरा नगर, देहरादून।
17. ऑटो रिक्शा मालिक एंव चालक संघ, ऋषिकेश।

इसके अतिरिक्त ऑटो रिक्शा मालिक एंव चालक संघ, ऋषिकेश की ओर से श्री संजय चौधरी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये, उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में ऋषिकेश से लगभग 629 ऑटो रिक्शा एंव 434 विक्रम टैम्पो संचालित हैं। इन वाहनों से 2000 से 2500 लोगों को रोजगार प्रदान हो रहा है। वर्ष 2013 के माह जून में राज्य में आयी आपदा से काफी कम संख्या में यात्री आ रहे हैं। जिससे उनका परिवहन व्यवसाय प्रभावित हुआ है। उन्होंने निवेदन किया है कि ऋषिकेश केन्द्र हेतु नये परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण के समक्ष हरिद्वार केन्द्र से ऑटो रिक्शा परमिट जारी करने के विरूद्ध श्री मॉगेराम, महामंत्री, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, विक्रम एसोशिएशन, ललतारो पुल, हरिद्वार ने एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि हरिद्वार क्षेत्र में लगभग 4000 ऑटो रिक्शा व विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही है। इन वाहनों के संचालन से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। अब नये परमिट दिये जाने से स्थिति और भी दयनीय और भयंकर हो गयी है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि जिन लोगों ने वर्ष 2010 में परमिट प्राप्त किये थे। 03 वर्ष पूरे होने के बाद उनके द्वारा अपनी वाहन परमिट सहित बेच कर वर्ष 2014 में पुनः परमिट प्राप्त किये जा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि परिस्थितियों को देखते हुये अग्रिम 05 वर्षों तक नये परमिट दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का कष्ट करें और नये परमिट जारी करना अभिलम्ब बन्द कराया जाये।

प्राधिकरण की बैठक में श्री हरिओम झा, को–आडिनेटर, पंचपुरी ऑटो रिक्शा महासंघ, हरिद्वार ने भी अवगत कराया कि हरिद्वार में लगभग 3679 ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हो रही है। इसके अतिरिक्त 500 बैटरी चालित वाहनें भी संचालित हो रही है। साल भर लगभग 60 मेले हरिद्वार में लगते है, इन मेलों में अन्य प्रदेशों से सैकडो वाहनें हरिद्वार आती हैं। जिससे शहर में जाम की भयावह स्थिति बनी रहती है। उन्होंने निवेदन किया है कि हरिद्वार शहर में ऑटो रिक्शा एंव विक्रम टैम्पो के नये परमिट जारी न किये जायें।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एंव क्षेत्राधिकारी (पुलिस) की संयुक्त कमेटी गठित की जाती है। जो निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्राधिकरण को अपनी आख्या उपलब्ध करायेगीः–

1. ऋषिकेश/ हरिद्वार केन्द्र हेतु ऑटो रिक्शा के परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों की जॉच कर ऐसे आवेदकों की सूची जो विगत 03 वर्षो में ऑटो रिक्शा/विक्रम टैम्पो के परमिट धारक रहे हो।

2. सम्बन्धित क्षेत्र में ऑटो रिक्शा वाहनों हेतु ऐसे कम दूरी के मार्गों का सर्वे कर प्रस्ताव, जहॉ विस्थापन एंव विकास गतिविधियों के कारण नयी कॉलोनियों का निर्माण हुआ हो तथा परिवहन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नही हो पा रही हो।

प्रस्तावित मार्ग सामान्यतयाः 5 से 15 किमी0 की दूरी के होगें। विशेष परिस्थितियों में कारण का उल्लेख करते हुये उक्त सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है।

3. परमिट की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु परमिट अन्तरण पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आख्या। इसके लिये स्थानीय चालकों, परमिट धारकों, परिवहन संगठनो, जनप्रतिनिधियों एंव स्थानीय जनता से सुझाव प्राप्त किये जा सकते हैं।

4. सम्बन्धित क्षेत्र की पार्किग सुविधा एंव यातायात के दवाब के दृष्टिगत वर्तमान में संचालित ऑटो वाहन के अतिरिक्त कितने ऑटो वाहनों को परमिट जारी किये जा सकते है?

संयुक्त कमेटी के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर आख्या सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को प्रेषित की जायेगी। जिसे प्राधिकरण के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा तब तक ऋषिकेश एंव हरिद्वार केन्द्र के परमिट एंव स्वीकृति पत्र जारी नहीं किये जायेगें।

संकल्प सं0–05 इस मद के अन्तर्गत देहरादून संभाग तथा देहरादून एंव पौड़ी संभाग के मार्गों के लिये ठेका गाडी, मैक्सी कैब एंव टैक्सी कैब के स्थाई परमिटों स्वीकृत करने हेतु मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण ने श्री विजयवर्धन डंडरियाल एंव श्री प्रशान्त डोभाल के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0 2076/14 व 2265/14 में पारित आदेशों का अवलोकन कर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के सम्बन्ध में शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा तब तक ठेका गाडी परमिट हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करना स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–06 इस मद के अन्तर्गत राजपुर–क्लेमेनटाउन नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के मामले की सुनवाई के दौरान श्री एस0के0 श्रीवास्तव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उन्होंने प्राधिकरण को सूचित किया कि प्राधिकरण ने दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 04 परमिट स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण के द्वारा निगम को स्वीकृत किये गये 04 परमिटों के आदेश को मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड ने निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त संयुक्त सर्वेक्षण समिति के द्वारा वर्तमान में मार्ग का सर्वेक्षण कर 02 और रिक्तियों की संस्तुति की हैं। जिससे मार्ग पर कुल 06 रिक्तियॉ हो गयी है। उनके द्वारा 06 रिक्तियों के सापेक्ष अस्थाई परमिटों की मॉग की गई है।

राजपुर–क्लेमेन्टाउन नगर बस सेवा मार्ग के आपरेटर एंव अध्यक्ष, देहरादून नगर बस सेवा एसोसिएशन ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया है कि धारा–87 से स्पष्ट है कि नगर बस मार्गो पर उन अस्थायी नगर बस परमिट जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह प्रावधान धारा 87 तब समाहित होता जब केन्द्र सरकार इसमें इस तरह का प्राविधान करती, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा नगर बस मार्गों पर अस्थायी सवारी गाडी को परमिट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 74 में भी नगर बस मार्गों पर कोई अस्थायी सवारी गाडी परमिट जारी किये जाने हेतु प्राविधान नहीं है।

श्री सुभाष चन्द्र, कुआवाला, देहरादून ने मा0 प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, देहरादून के समक्ष अपील सं0 16/2006 दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने उक्त अपील में प्रार्थी को सुनने के आदेश पारित किये हैं। मा0 न्यायाधिकरण पारित आदेश का अनुपालन किया जाना अभी तक प्रतीक्षित है। प्राधिकरण के बैठक दिनांक 04.12.13 एंव 10.09.14 में प्रश्नगत मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों जारी करने के मामले पर विचार करते समय उक्त अपील का संज्ञान लिया गया था। परन्तु न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अभी तक प्रतीक्षित है। मार्ग पर कोई भी अस्थाई परमिट जारी न किया जाये।

प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 08.10.10 में प्रश्नगत मार्ग पर 04 परमिट उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये थे। प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध श्री अशोक कुमार मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड में अपील दायर की थी। मा0 न्यायाधिकरण ने श्री अशोक कुमार की अपील का निस्तारण करते हुये संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 08.10.10 में उत्तराखण्ड परिवहन निगम को स्वीकृत किये गये 04 परमिटो के आदेश को दिनांक 27.07.2012 को निरस्त कर दिया था। मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 27.07.2012 को पारित आदेशों के विरूद्ध श्री अशोक कुमार ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में याचिका सं0 1778/एमएस/12 दायर की है। जो विचाराधीन है।

श्री एस0के0 श्रीवास्तव के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, बैरागढ, भोपाल, मध्य प्रदेश बनाम बी पी उपाध्याय, संभागीय परिवहन प्राधिकरण, रायुपर एंव अन्य (AIR 1966, SC 166) में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। जिसमें निर्णय दिया गया है किः–

" That these two kinds of need may co-exist on a particular route. If, therefore the Regional Transport Authority considered that, in the circumstances of the case, there was a particular temporary need, and granted a temporary permit to the appellant, the action of the Regional Transport Authority cannot be challenged as legally invalid."

उपरोक्त के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अस्थाई आवश्यकता स्थाई आवश्यकता के साथ विद्यमान हो सकती है। इसलिये यदि प्राधिकरण प्रकरण की दशा में यह पाती है कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है तो अस्थाई परमिट जारी किया जा सकता है।

परन्तु प्रत्येक दशा में स्थाई आवश्यकता के साथ विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता का अनिवार्य रूप से विद्यमान होना अनिवार्य नहीं है। यह प्रकरण की दशा तथा तथ्यों पर निर्भर करता है। केवल स्थाई आवश्यकता होने, परमिट/रिक्ति की संख्या में वृद्धि होने, परमिट स्वीकृति के आदेश निरस्त होने से विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। प्रकरण की परिस्थितियो में

प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसे तथ्य आने चाहिये जिससे इस निर्णय पर पहुॅच सके कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को ऐसे तथ्यों का विवरण अस्थाई परमिट जारी करने के आदेश में उल्लेख करना आवश्यक है।

प्रश्नगत मार्ग पर 04 रिक्तियॉ राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड़ द्वारा परमिट जारी करने के संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेशों को निरस्त करने से तथा 02 अतिरिक्त रिक्तियॉ संयुक्त सर्वेक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्पन्न हुई है। पूर्व में जारी 04 परमिटों पर वाहन का संचालन कभी नही हुआ है। इसी प्रकार 02 अतिरिक्त रिक्ति पर कभी भी वाहन का संचालन नहीं हुआ है। अतः यह मानना कि उक्त रिक्तियों के कारण वर्तमान परिवहन सेवा ***(Existing Service)*** में कमी आयी है अथवा वर्तमान परिवहन सुविधायें जनता की परिवहन हेतु अपर्याप्त है, तर्क संगत नहीं है। प्राधिकरण के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उक्त मार्ग में परिवहन की समस्या है, न की ऐसी कोई मॉग किसी संगठन, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय जनता द्वारा की गई है।

अतः प्राधिकरण की राय में उक्त मार्ग पर विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता विद्यमान होना पुष्ट नहीं होता है।

उपरोक्त निष्कर्ष को निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों के आधार पर पुष्ट किया जा सकता हैः–

1. ***"It is true that in view of the decision of the Supreme Court in M.P. State Road Transport Corporation v. R.T.A. Raipur, AIR 1966 SC 156 a temporary permit can be granted under Section 62(c) even when there is a permanent need. But from this it does not follow that whenever there is a permanent need then it must be taken that a perticular temporary need also exists. See Raipur Transport Co. v. R.T.A. Jabalpur, AIR 1967 Madh Pra 141. The Regional Transport Authority has to decide for itself whether in the facts and circumstances of a case there exists a particular temporary need before it can issue a permit under Section 62(c)."***

   (Madhya Pradesh State Road Corporation vs Regional Transport Authority, AIR 1968 MP 148a)

2. ***"In AIR 1966 SC 166 (Supra) The Supreme Court has not laid down that wherever there is a permanent need, then, without more, it must be presumed that a particular temporary need also exists"***

   (Raipur Transport Co. Private Ltd. vs Regional Transport Authority, AIR 1967 M.P. 141)

3. "***A permanent need cannot become a temporary one merely becasue an order granting a permit has been set aside or its operation stayed in other proceedings."***

(G.B. Transports, Guruvayur vs R.T.A. Trichur, AIR 1960 Ker 239)

4. "***Merely because a temporary need may co-exist with a permanent need, it could not lead to the conclusion that whenever there is a permanent need a temporary need should always be presumed to exist as well. There can be no such presumption in law, but facts must be ascertained by the R.T.A and reasons must be given by that Authority, if it came to the conclusion that a particular temporary need did also exist along with the permanent need. Merely because filling of permanent vacancies, which were caused not on account of cancellation of existing permits or the discontinuance of existing services, but on account of the increase in the limit of permits on the route, was likely to take some time, it cannot be the basis for holding that a particular temporary need existed."***

(Gafoor vs Regional Transport Authority, AIR 1976 Raj 166).

5. "***No doubt the existence of a permanent vacancy may not necessarily mean that there is a particular temporary need within the meaning of Section 62(1)(c) of the Act."***

(Bherulal vs The S.T.A.T. , Rajasthan, AIR 1977 Raj 29).

उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता स्थापित न होने के कारण प्रश्नगत मार्ग पर धारा 87 के अन्तर्गत अस्थाई परमिट स्वीकृत किया संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने हेतु श्री अशोक कुमार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर याचिका सं0 1778/एमएस/12 विचाराधीन है। अतः उक्त कारणों के आधार पर प्रश्नगत मार्ग हेतु अस्थाई परमिटों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–07 इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–गुलरघाटी नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया है।

श्री आशीष कम्पानी पुत्र श्री जे0के0 कम्पानी, 34 आराघर देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर सूचित किया है कि वे फरवरी, 2012 से लगातार अपनी बस संख्या यूके07 पीए 1306 मॉडल 2011 के लिये अस्थाई परमिट प्राप्त कर स्थानीय जनता को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होने अनुरोध किया है कि उनकी बस को अस्थाई परमिट जारी करने के कृपा करें।

प्रश्नगत मार्ग पर अस्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मार्ग की यूनियन के अध्यक्ष श्री अनुज चन्देल ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया है कि धारा–87 से स्पष्ट है कि नगर बस मार्गो पर उन अस्थायी नगर बस परमिट जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह प्रावधान धारा 87 तब समाहित होता जब केन्द्र सरकार इसमें इस तरह का प्राविधान करती, क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा नगर बस मार्गों पर अस्थायी सवारी गाडी को परमिट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। मोटरयान नियमावली 2011 के नियम 74 में भी नगर बस मार्गों पर कोई अस्थायी सवारी गाडी परमिट जारी किये जाने हेतु प्राविधान नहीं है।

श्री कम्पानी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के क्रमॉक 8– **अस्थाई आवश्यकता का औचित्य——————————** के कॉलम में उनके द्वारा अस्थाई परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में कारण का उल्लेख नहीं किया है। जिससे अस्थाई परमिट प्राप्त करने के विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग पर विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता विद्यमान न होने के कारण प्राप्त अस्थाई परमिट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

मद सं0–08 एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर नगर बस सेवा मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट स्वीकृत करने हेतु श्री कमल कुमार के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया है।

श्री कमल कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल, सुन्दरवाला रायपुर देहरादून ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया गया है कि वे अपनी नई बस संख्या यूके07 पीए 1311 मॉडल 2011 के लिये फरवरी, 2012 से एमडीडीए–डालनवाला– डाट मन्दिर नगर बस मार्ग पर लगातार अस्थाई परमिट प्राप्त कर स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहें हैं। उन्होंने प्राधिकरण को यह भी सूचित किया है कि मार्ग पर अस्थाई एंव स्थाई परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति किसी भी स्तर से नहीं की गई है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी वाहन को पूर्व की भॉति अस्थाई परमिट जारी किया जाये ताकि वे स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

श्री कमल कुमार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के क्रमॉक 8– **अस्थाई आवश्यकता का औचित्य——————————** के कॉलम में उनके द्वारा अस्थाई परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में कारण का उल्लेख नहीं किया है। जिससे अस्थाई परमिट प्राप्त करने के विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रश्नगत मार्ग पर विशिष्ट अस्थाई आवश्यकता विद्यमान न होने के कारण प्राप्त अस्थाई परमिट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

संकल्प सं0–9 इस मद के अन्तर्गत टॉटा मैजिक आयरिश, 05 सीटर वाहनों को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान में इस प्रकार की 18 वाहनें कार्यालय में पंजीकृत हैं, इन वाहनों के स्वामी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुये। उन्होंने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उनके वाहनें 02 वर्ष पूर्व पंजीकृत हुई थी। परन्तु अभी तक इन वाहनों को स्थाई परमिट नहीं दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनकी वाहनों को स्थाई परमिट जारी करने की कृपा करें।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 10.09.2014 में उक्त प्रकार की वाहनों को स्थायी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले विचारोपरान्त निर्णय लिया कि सचिव उक्त प्रकार की वाहनों को परमिट जारी करने हेतु नीति प्रस्तावित करेंगे।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सचिव के द्वारा टिप्पणी एंव आदेश के द्वारा प्रस्तावित नीति अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अध्यक्ष ने सचिव द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावित नीति को अपने आदेश दिनांक 10.11.2014 के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कियाः–

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74 (2)(i) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ठेका गाडी परमिट विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्ग के लिये जारी किया जा सकता है। पूर्व में मोटर कैब को क्षेत्र के परमिट जारी किये गये है। टॉटा मैजिक आयरिश वाहन छोटी बनावट का वाहन है तथा परिवहन आयुक्त द्वारा राज्य के मैदानी मार्गो में संचालन हेतु पंजीकृत करने के आदेश दिये गये हैं। इसलिये इस वाहन को सीमित मैदानी क्षेत्र का मोटर कैब परमिट दिया जाना उचित होगा।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उक्त प्रकार की वाहनों के संचालन हेतु किसी मार्ग विशेष का परमिट जारी किया जाये। इस सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन) देहरादून की संयुक्त समिति इन वाहनों के संचालन हेतु मार्गों का सर्वेक्षण कर आख्या प्रेषित करेंगे तथा आख्या प्राप्त होने के पश्चात मामले को प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

संकल्प सं0–10 इस मद के अन्तर्गत माल वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल का संग्रह, भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने वाले अभिकर्ताओं को अनुज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त मद में वर्णित सभी 12 प्रार्थीयों के प्रार्थना पत्र तथा बैठक में 01 प्रार्थी श्री तेजप्रकाश गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करते हुये सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम–2007 तथा नियमावली– 2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार माल का संग्रह भण्डारण, प्रेषण और वितरण करने हेतु अभिकर्ता अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है।

संकल्प सं0–11 इस मद के अर्न्तगत प्रेमनगर–रायपुर नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार रायपुर से नथूवावाला तथा तुनवाला होते हुये शमशेर गढ तक किये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार एंव आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में देहरादून–रायपुर–मालदेवता तथा सम्बन्धित मार्ग की 13 बसें प्रश्नगत मार्ग पर संचालित होती थी। परन्तु वर्तमान में देहरादून–रायुपर तथा सम्बन्धित मार्ग पर केवल 02 बसे संचालित हो रही है तथा इन बसों द्वारा सम्बन्धित सभी मार्गो पर नियमित बस सेवा संचालित किया जाना संभव नहीं हो रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा नथूवावाला, तुनवाला तथा शमशेर गढ तक बस सेवा उपलब्ध कराये जाने की मॉग की गई है। प्राधिकरण के समक्ष क्षेत्र के जनप्रतिनिधी श्रीमती पुष्पा बडथ्वाल, जिला पंचायत सदस्य, माजरी माफी, देहादून, श्री ओमप्रकाश बहुगुणा, श्री प्रवीन पुरोहित, श्री क्षितिज उपाध्याय एंव श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय ने उपस्थित होकर अनुरोध किया की उनके क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर बस सेवा चलाने की कृपा की जाये।

प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की वाहनों का मार्ग विस्तार रायपुर से नथूवावाला, तुनवाला होते हुये शमशेर गढ तक करने के विरूद्ध मार्ग की बस यूनियन के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद भट्ट द्वारा एक पत्र बैठक में दिया गया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सूचित किया है कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0 5646/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/11 दिनांक 02.11.11 द्वारा सर्वेक्षण आख्या में स्पष्ट किया है कि प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की दूरी 24 किमी0 है, जिस पर कारण प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की वाहनों को झाझरा ट्रेनिंग कॉलेज तक मार्ग विस्तारित करना संभव नहीं है। जबकि प्रेमनगर–रायपुर की वाहनों को पहले से ही सुद्धोवाला तक विस्तारित कर दिया गया था। इसके बावजूद भी हमारे द्वारा झाझरा ट्रेनिंग कॉलेज तक मार्ग विस्तार की अपील की गयी थी। परन्तु आरटीए द्वारा प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की वाहनों को विस्तारित नहीं किया गया, हमें यह कहकर खारिज कर दिया गया कि – आपका मार्ग पहले ही विस्तारित कर 24 किमी0 पूर्ण हो चुका है। उन्होंने निवेदन किया है कि वे अपनी वाहनों के सेवायें उक्त मार्ग पर देने में असमर्थ हैं तथा यह भी अनुरोध किया है कि किसी अन्य मार्ग को नथूवावाला, तुनवाला होते हुये शमशेर गढ तक विस्तारित किया जाना उचित होगा।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून द्वारा प्रश्नगत मार्ग की वाहनों को शमशेर गढ़ तक विस्तारित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या में संस्तुति कि है किः–

1. स्थानीय जनता द्वारा रायपुर से नथुवावाला मार्ग होते हुये शमशेरगढ तक बस सेवा की मॉग की गयी है। मार्ग का दिनांक 01.10..2014 को सर्वेक्षण किया गया था। रायपुर से शमशेरगढ तक उक्त मार्ग की दूरी लगभग 4.5 किमी0 है। मार्ग पक्का है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। उक्त मार्ग पर पूर्व में थानो/मालदेवता मार्ग की बसों का संचालन हो रहा था, जो कि बन्द हो गया है। सर्वेक्षण के दौरान उक्त मार्ग पर कोई बस सेवा संचालित नही पायी गयी।

2. स्थानीय जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का विस्तार शमशेरगढ़ तक किये जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त मार्ग का विस्तार शमशेरगढ तक करने की संस्तुति की जाती है।

3. प्रेमनगर–रायपुर मार्ग पर प्रेमनगर से रायपुर–आईएसबीटी एंव प्रेमनगर–कनाट प्लेस–घंटाघर होते हुए दोनों ओर से 50–50 प्रतिशत वाहनों का संचालन अनुमन्य है, जिस पर दोनो ओर से वाहनों का संचालन होता है। प्रेमनगर–आईएसबीटी होते हुय रायपुर तक मार्ग की दूरी लगभग 24 कि0मी0 है। अतः मार्ग घण्टाघर होते हुये संचालित वाहनों को रायपुर से शमशेरगढ तक संचालित किया जा सकता है।

प्राधिकरण विचारोपरान्त निर्णय लिया कि प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की वाहनों के मार्ग विस्तार करने के विरूद्ध सम्बन्धित बस यूनियन के अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद भट्ट की आपत्ति को निरस्त किया जाता है तथा जनहित में प्रश्नगत मार्ग का विस्तार रायपुर से नथूवावाला तथा तुनवाला होते हुये शमशेर गढ तक किया जाता है। विस्तारित मार्ग पर प्रेमनगर–कनाट प्लेस–घंटाघर होते हुये रायपुर मार्ग पर संचालित होने वाली 50 प्रतिशत वाहनों का संचालन किया जायेगा।

रमेश बुटोला,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

अरविन्द शर्मा,
सदस्य
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

कार्यवृत्त तैयारकर्ता–

दिनेश चन्द पठोई, पदेन सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून।

सी0 एस0 नपलच्याल (आई0ए0एस0)
अध्यक्ष
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

परमिट सं0 पीएसटीपी 1430 प्रश्नगत मार्ग हेतु दिनांक को 01.06.1998 जारी किया गया था। जिस पर लगागार वाहन का संचालन हो रहा था। परन्तु दिनांक 21.01.2013 को परमिट धारक के द्वारा उक्त परमिट पर ऊॅच्चे माडल की वाहन लगाने हेतु 02 माह का समय प्राप्त किया गया था। किन्तु लगभग 21 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी परमिट धारक के द्वारा परमिट पर वाहन का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है।

परमिट सं0 1290 भी इस मार्ग हेतु दिनांक 08.08.1997 को जारी किया गया था। जिस पर लगागार वाहन का संचालन हो रहा था। परन्तु दिनांक 11.08.2009 को परमिट धारक के द्वारा उक्त परमिट पर ऊॅच्चे माडल की वाहन लगाने हेतु 02 माह का समय प्राप्त किया गया था। किन्तु लगभग 05 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त परमिट धारक के द्वारा परमिट पर वाहन का प्रतिस्थापन नहीं कराया गया है।